

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां./2024/ दिनांक:

-आन्तरिक अंकेक्षण संशोधन कार्यक्रम आदेश:-

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक लेखा-12 (प्रोग्राम) आ. जाँच कार्यक्रम/2023-24/5282 दिनांक 29.09.2023 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन कर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दल सं०	कार्यक्रम में गठित जाँच दल	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है।	आदेशित अंकेक्षण लेखावधि	पूर्व में निर्धारित अंकेक्षण तिथि	अंकेक्षण हेतु संशोधित तिथि
1.	श्री पवन प्रताप राजोरिया AAO-I श्री विजय गौरा AAO-I मुख्यालय जयपुर	पीएमओ, महुवा (दौसा)	04/18 से 03/23	30.10.2023 से 10.11.2023	30.10.2023 से 24.11.23
		सीएचसी, नोगाँव (अलवर)	04/18 से 03/23	14.11.223 से 25.11.2023	28.11.2023 से 06.12.2023
		बीसीएमओ, बहरोड़ (अलवर)	04/19 से 03/23	28.11.2023 से 14.12.2023	07.12.2023 से 18.12.2023
		सीएचसी, पहाडी (भरतपुर)	04/17 से 03/23	15.12.2023 से 30.12.2023	19.12.2023 से 30.12.2023

SD
वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 26/11/24

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां./2024/164

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्री पवन प्रताप राजोरिया AAO-I एवं श्री विजय गौरा, AAO-I मुख्यालय, जयपुर को पालनार्थ।

2. प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करे।

(4)
वरिष्ठ लेखाधिकारी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर